न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 23 / 2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नानी देवी उम्र 55 वर्ष बेवा लादू / बिलाशा।
2 मन्जु उम्र 25 वर्ष पुत्री बिलाशा समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र नानूराम।
2 कानाराम पुत्र बेगाराम।
3 केशर राम पुत्र नानूराम।
4 भंवरलाल पुत्र नानूराम।
5 हरिराम पुत्र नानूराम।
6 भगवानाराम पुत्र नानूराम।
7 रामकोरी पत्नी नानूराम।
8 सोहनी देवी पुत्री नानूराम।
9 तिलोकाराम पुत्र बेगा समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 मूलसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 पटवारी पटवार हल्का तिड़ोकी बड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.ए. 1955 विरूद्व
डिकी एवं निर्णय दिनांक 03.09.2015 न्यायालय
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस
दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ दावा
संख्या 50/2015

उपस्थित

1. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14.03.2019

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) लक्ष्मणगढ़ द्वारा दावा संख्या 50/2015 में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 169/1/1 रकबा 4.73 हैक्टेयर वाके ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अन्तिम रूप से डिकि किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादपत्र को निर्णित करने में अपनायी जाने वाली विधिक प्रकिया का

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुसरण नही किया उक्त वादपत्र की आदेशिकाओं का अवलोकन किया जावे तो उक्त वादपत्र दिनांक 26.06.2015 को प्रस्तुत हुआ जिसमें आगामी तिथि पेशी दिनांक 15.07.2015 नियत की गई। उक्त 15.07.2015 की तारीख पेशी पर अपीलांट संख्या 1 व अन्य प्रतिवादीगण की तामिल विधिवत मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी संख्या 10 की तलबी हेतु आदेश जारी किया गया, उसी दिनांक को बिना किसी विधिक प्रकिया के तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाने हेतु लिखा जाने का वेग आदेश भी पारित कर दिया। जबकि प्राथमिक डिकी जारी किये बिना नातों विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का कोई कानूनी प्रावधान है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। जो स्वीकार किये जाकर निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 258, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 485, आर.आर.टी. 2005

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विधि अनुसार एकतरफा कार्यवाही होने के पश्चात विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में चाराजोही नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय में दिनांक 26.06.2015 को वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 15.07.2015 नियत की गई है। दिनांक 15.07.2015 की आदेशिका में अंकित है कि " वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 पर विधिवत तामिल हो चुकी है। बावजुद तामील अनुपस्थित। अत इनके खिलाफ एकपक्षीय

अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया। दावा विभाजन से सम्बंधित है। अत तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु लिखा जाकर पत्रावली वास्ते शेष प्रतिवादी संख्या 10 तलबी दिनांक 29.07.2015 को पेश हो'' विचारण न्यायालय की यह आदेशिका विरोधाभाषी तथ्यों के साथ एवं विधिक प्रकिया के विपरित है। नियमित वाद में तलबी पूर्ण होने के उपरान्त प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण होने से पूर्व ही प्राथमिक डिकी जारी किये बिना सीधे ही तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवा लिये है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही विधि विरूद्व है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 एवं धारा 96 स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिकी अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.04.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

14.3.19

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर